

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप-3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4()ग्रावि/नरेगा/जी.के.एन/09-10

जयपुर, दिनांक 14.12.09

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान

4 DEC 2009

विषय: नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्य करने की नवीन व्यवस्था बाबत।

महोदय,


उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत निवेदन है कि नरेगा योजना मे सामग्री क्य करने के लिये विभागीय आदेश दिनांक 27.07.09 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा निर्देशो के अनुसार खुली निविदाएं आमंत्रित की जाकर प्रत्येक पंचायत समिति के लिये सामग्री दरो का निर्धारण किया जाना था।

इस काम मे कृपया निम्न प्रपत्र मे सूचनाएं आज शाम तक ई-मेल से भिजवाने का श्रम करावे -:

क्र.स	कुल पंचायत समिति की संख्या	पं.स जिसमे निविदाएं आमंत्रित जा चुकी है (out of col 2)	पं.स जिसमे निविदाओ को अन्तिम रूप दिया जा चुका है (out of col 3)	पं.स जिसमे नवीन दरो पर सामग्री क्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है (out of col 4)	निविदाएं जारी नहीं करने/नवीन दरे प्रभावी नहीं करने के कारण
1	2	3	4	5	6

कृपया इसे सवोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।


भवदीय



(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक, (ईजीएस)

प्रतिलिपि:-

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।



परियोजना निदेशक, (ईजीएस)